न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 26 / 2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. भोमाराम पुत्र रावताराम जाति भील निवासी केरू तहसील व जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार आहोर जिला जालोर 2. सरपंच / पदेन सचिव, ग्राम पंचायत दयालपुरा पंचायत समिति आहोर जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री संजय खान, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 12/11/18

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 341 / 2015 भोमाराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा मादड़ी के खसरा नम्बर 334 रकबा 1.76 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 334 / 702 रकबा 0.06 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 336 रकबा 2.10 हैक्टेयर में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट को रास्ता प्रदान करने में सहमति जताई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात् को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में राजस्व लोक अदालत में जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपनी भूमि में से रास्ता निकालने की सहमति जताने के पश्चात भी भू0अ0नि0 द्वारा अपनी रिपोर्ट में अन्य खसरा नम्बर की भूमि में से रास्ते बाबत रिपोर्ट की, जिससे अपीलाण्ट का पूर्व से विवाद चला आ रहा है एवं उक्त जां रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भू0अ0नि0 द्वारा जिस रास्ते की सिफारिश की गई, उस खसरा नम्बर की भूमि के खातेदार से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट का विवाद और बढ गया। अपीलाण्ट द्वारा वांछित भूमि का ही रास्ते के प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है, जिसे नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट ग्राम केरू तहसील जोधपुर में निवास करता है तथा अपील प्रस्तुत करने के एक सप्ताह पूर्व ही अपने प्रकरण की जानकारी करने अधीनस्थ न्यायालय में सम्पर्क किया, तो अपीलाण्ट को यह जानकारी हुई कि उसके प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में दिनांक 20.06.2016 को ही निर्णित किया जा चुका है। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्रकरण की प्रतिलिपियां प्राप्त की, तो अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी हुई। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है, जिसे स्वीकार किया जावे एवं अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि पूर्व में अन्य सह खातेदारान् की सह खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जिसका अपीलाण्ट एवं अन्य सह खातेदारान् द्वारा विभाजन करवाया गया। उस समय रास्ते बाबत कोई प्रावधान दर्शित नहीं किए। मुख्य रूप से उक्त विभाजन के विरूद्ध अपील की जाकर ही खातेदारान् द्वारा रास्ते का प्रावधान किया जा सकता था। अब अपनी सुविधा के अनुसार ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दुर्भीसंधि से प्रकरण के निस्तारण कराने का अनुतोष चाहा, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निहित मूल तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 336 में से अपीलाण्ट के आवागमन सुचारू करने हेतु रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि वांछित रास्ते की भूमि ग्राम पंचायत दयालपुरा की खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लाने हेतु तहसीलदार आहोर को निर्देशित किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.03.2016 में के संलग्न भू0अ0नि0 गुडा बालोतान की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें यह जाहिर किया कि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में प्रवेश करने के लिए वर्तमान में मौजा मादडी के खसरा नम्बर 333, 332, 738/332, 740/332 का उपयोग किया जा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रहा है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 334 व 334/704 में प्रवेश हेतु निकटतम प्रस्तावित मार्ग खसरा नम्बर 829/334 किस्म जा0सो0 में से है, जिसके खातेदार पारसीया पुत्र भगाराम है, जो पूर्व में सह खातेदार थे तथा अपसी सहमति से विभाजन होने के कारण पृथक पृथक खसरा नम्बर बने है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में प्रकरण को नियत किया गया, जबकि इस सम्बन्ध में कोई सूचना अपीलाण्ट को जारी ही नहीं की गई। इसके पश्चात प्रकरण में राजस्व लोक अदालत के तहत जैर अपील आदेश पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान की अनुपस्थिति में जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 341/2015 भोमाराम बनाम राजस्थान सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट आदि तैयार करवा कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों की परिधी में प्रकरण की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर